कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1739 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 29/10/2026

// प्रवेश वर्ष 2026 (फिजियोथेरेपी (BPT) पाठ्यक्रम की स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग आवंटन सूचना //

आज दिनांक 29.10.2026 को छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की सीटों की स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग के लिए आवंटन सूची जारी की गई है, इसके तहत स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : –

सभी आवंटित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का अध्ययन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें। **(विशेषकर नियम 7 का उप–नियम (viii) का अध्ययन करें)**। आवंटन उपरांत ***नियमानुसार उचित प्रक्रिया के अभाव में अभ्यर्थी अपात्र हो सकते है।***

स्क्रूटनी एवं प्रवेश हेतु समय–सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	स्क्रुटनी एवं प्रवेश की प्रारंभिक तिथि एवं अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 30 अक्टूबर 2026, समय** Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से **दिनांक 31 अक्टूबर 2026, समय** Server Time 16:00 Hrs (04:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस हैं)
2	आबंटित संस्था में प्रवेश की प्रारंभिक तिथि एवं अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 30 अक्टूबर 2026, समय** Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से **दिनांक 31 अक्टूबर 2026, समय** Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस हैं)

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. समस्त शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में आवंटित अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में संपन्न की जाएगी। संबंधित शासकीय महाविद्यालय उक्त स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराएं।
2. निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया आवंटित संस्था में ही की जायेगी।

क्रमश ––2––

नोटः–

1. स्क्रूटनी में अथवा प्रवेश नियम के विरूद्ध अर्थात स्क्रूटनी में अपात्र अथवा प्रवेश में अपात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं स्क्रूटनी हेतु संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा न्यायालयीन प्रकरणों में भी उन्ही की जिम्मेदारी होगी एवं स्पष्टीकरण संस्था को स्वयं देना होगा।

2. **शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की सीटों का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

29/10/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

पृ. क्रमांक/ 1740 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर, दिनांक 29/10/2026

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, समस्त शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, छ.ग. एवं प्राचार्य, अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, अंजोरा, दुर्ग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।

समस्त शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय स्क्रूटनी स्थल शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.